राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ......27 / 2017..............................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स राजस्थान ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि0, जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–IX, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/07/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह विविध प्रार्थना पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 07.03.2017, जिसके द्वारा 10,51,848/– रूपये की बकाया राशि पर स्थगन प्रदान करते हुए अपीलीय अधिकारी को उक्त आदेश प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे, के संबंध में प्रस्तुत की गई है तदनुरूप अभ्यर्थना की गई है कि उनके द्वारा स्थगन आदेश के संबंध में समस्त शर्ते पूरी कर दी गई थी परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अभी तक उक्त प्रकरण को सुनवाई में नहीं लिया गया है। इस आधार पर पूर्व में प्रदत्त स्थगन आदेश दो माह तक आगे बढाने का निवेदन किया है। उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। उभयपक्ष को सुनने के पश्चात प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरणों में पूर्व में जारी स्थगन को पूर्व शर्तोनुसार दो माह अथवा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपील आदेश, जो भी पहले हो तक बढाया जाता है। विविध प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। 12.7.2017 (मदन लाल मालवीय) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	